राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर 302001

फोन न. 0141–2374672, ई–मेल:–rsrtc.edeng@gmail.com

क्रमांकः–एफ5/मुख्या./दुर्घ/प्रशि./25/1534 दिनांकः– 15.04.25

परिपत्र

हाल ही में निगम द्वारा अनुबन्धित वाहनों से घटित गम्भीर/प्राणघातक दुर्घटनाओं के क्रम में अनुबन्ध पर संचालित वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है–

1. अनुबंधित वाहनों पर कार्यरत चालकों का आगार स्तर पर आगारीय कमिटी द्वारा वाहन संचालन परीक्षण किया जावे तथा संतुष्टिपूर्ण वाहन संचालन की स्थिति में ही अनुबंधित वाहनों पर मार्ग पर भेजा जावे। इस बाबत चालक वार परीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक माह के अंत में मुख्यालय भेजी जावे।
2. अनुबंधित वाहनों को दुर्घटना कारित करने चालकों को अजमेर स्थित ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण करवाने हेतु संलग्न परिपत्र द्वारा निर्देशित किया हुआ है ,उक्त निर्देशों की पालना की आगार स्तर पर जांच की जावे तथा रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित की जावे।
3. वर्तमान में अनुबंध पर ली जा रही बसों के निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तानुसार चालकों को वाहन संचालन से पूर्व मेसर्स स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड अथवा निगम द्वारा अधिसूचित अन्य किसी संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक है, उक्त की पालना सुनिश्चित की जावे।
4. अनुबन्धित वाहनों पर कार्यरत चालकों को भी श्रम कानूनो के तहत विश्राम देने हेतु अनुबन्धित वाहन स्वामी को पाबन्द किया जावे।
5. अनुबन्धित वाहनों पर संचालित चालकों के Driving Licence की वैधता नियमित रूप से चैक की जावें। वैध लाईसेंस नही होने की स्थिति में चालक को मार्ग पर नही भेजा जावे।
6. अनुबन्धित वाहनों पर कार्यरत चालकों को मार्ग पर भेजते समय/मार्ग पर ब्रेथ ऐनेलाईजर से परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जावे। नशे में पाये जाने वाले चालक को मार्ग पर नही भिजवाया जावे एवं उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
7. निगम चालकों की भांति अनुबन्धित वाहनों पर कार्यरत चालकों का भी वर्ष में दो बार नेत्र/शारीरिक परीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करवाया जावें।

सभी आगारो के मुख्य प्रबन्धक उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से किया जाना सुनिश्चित करें।

~~संलग्न– उपरोक्तानुसार~~।

I.T-/488
16/04/25

(पुरूषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक